भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1968
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानयात्रियों द्वारा अभद्र एवं आपत्तिजनक व्यवहार के मामले

1968. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें विमानयात्रियों द्वारा विमान की खिड़कियां तोड़ने तथा विमानकर्मियों एवं अन्य यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार सहित अभद्र एवं आपत्तिजनक व्यवहार किया गया हो, जिससे यात्रियों तथा विमान की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ हो;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसे मामले में उपद्रवी यात्रियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या इस संबंध में यात्रा प्रतिबंध के अतिरिक्त कोई अन्य दंड भी दिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी वर्ष 2025 के केबिन सुरक्षा परिपत्र 01 के अनुसार, विमान पर यात्री दुर्व्यवहार/यात्री रोष/अनियंत्रित व्यवहार की किसी भी घटना की सूचना एयरलाइनों द्वारा 12 घंटे के भीतर ईमेल के माध्यम से तुरंत दी जानी है, और विमान की लैंडिंग के 24 घंटे के भीतर विस्तृत लिखित जानकारी डीजीसीए को प्रस्तुत की जानी है।

विमान/विमान में व्यक्तियों/संपत्ति की सुरक्षा/विमान पर सुव्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए और विमान पर अनुचित/विघटनकारी व्यवहार से निपटने के लिए, डीजीसीए ने "अनियंत्रित/विघटनकारी यात्रियों से निपटना" शीर्षक से सीएआर, खंड 3 – हवाई परिवहन, सीरीज एम, और भाग VI जारी की हैं।

उक्त सीएआर के अनुसार, विमान में अनियंत्रित यात्रियों को उनके दुर्व्यवहार की गंभीरता के आधार पर सामान्यतः तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। सीएआर के अनुसार गठित आंतरिक समिति की सिफारिश के आधार पर, इन अनियंत्रित यात्रियों को हवाई यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। हवाई यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि दुर्व्यवहार की गंभीरता स्तर के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।

वर्ष 2017 में अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए नियम जारी होने के बाद से आज की तारीख तक कुल 447 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में शामिल किया गया है।

सीएआर में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, एयरलाइन द्वारा यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में डालने से पूर्व उन्हें जवाबदेह ठहराने हेतु एयरलाइनों द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। एयरलाइनों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, डीजीसीए द्वारा 'नो फ्लाई लिस्ट' रखी जाती है।
